अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2020 (GCMS 2020/00133) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 48एफ–311195) <u>बनाम</u> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

<u>18.01.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 20.04.2020 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2020 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. निर्णय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने अपीलीय आदेश प्रथम अपील संख्या 42/2016 निर्णय दिनांक 10.12.2016 अनवान राधेश्याम गोयल बनाम तहसीलदार (राजस्व) एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर में पारित किया है कि भाग सख्या 80 का बी.एल.ओ. तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के अधीन कार्य नहीं करता है व बीएलओ का किसी प्रकार का रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. अपील संख्या 83/2015 अनवान् राधेश्याम गोयल बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर में अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2015 में यह पारित किया है कि उनके कार्यालय द्वारा (तहसीलदार द्वारा) विधानसभा 2 गंगानगर से सम्बन्धित भाग नं. 1 से 6 व 124 से 185 तक का कार्य सम्पादित किया जाता है। भाग संख्या 80 का बीएलओ से उनके कार्यालय से सम्बन्ध नहीं है।
3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एईआरओ/नं. 4/गंगा/1754 दिनांक 22.6.2015 से यह अवगत करवाया है कि भाग संख्या 80 का बीएलओ इस कार्यलय के अधीन कार्यरत नहीं हैं
4. जांच कर स्पष्ट सूचना बीएलओ या भाग संख्या 80 श्री सुभाष गोयल के कार्य निष्पादन की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. मिथ्या सूचना देने वाले अधिकारीगण के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही करने की सूचना व प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/534 दिनांक 26.06.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:26 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ... सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ... गई में जांच कर जांच रिपोर्ट चाही गई है जबकि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना जिस स्थिति में उस स्थिति में ही उपलब्ध करवाने का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रावधान है। अतः आप प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2020 में जो सूचना चाहते है, स्पष्ट अंकित कर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

संलग्न : संलग्न मूल प्रार्थना पत्र

(डा. गुंजन सोनी)
लोक सूचना अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उसे लौटा दिया गया है, इसलिए अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष सुस्पष्ट अंकित सूचनाएं के साथ पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर, सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पुनः सुस्पष्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचनाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बा[illegible]तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.0[illegible]23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:26 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर